

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवाओं के पुनर्विवाह पर उपहार योजना
आवेदन पत्र

1. आवेदिका का नाम
2. आवेदिका के स्वर्गीय पति का नाम व पता
3. आवेदिका की आयु
(आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. वर्तमान निवास स्थान का पूरा पता
(यथा मकान नंबर, मौहल्ला, गली, पोस्ट ऑफिस, कस्बा, जिला आदि)
5. स्वर्गीय पति की मृत्यु तिथि.....
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. स्वर्गीय पति की मृत्यु का कारण
7. समस्त स्रोतों से मासिक आय
(विधवा पेंशन प्राप्त नहीं करने वाली आवेदिकाएँ तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. क्या आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है? हाँ/नहीं
9. यदि हाँ तो पेंशन ऑर्डर (पी.पी.ओ.) संख्या व तिथि
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

आवेदिका का
नवीनतम फोटो

10. आवेदिका के परिवार के सदस्यों का विवरण :
(राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)

नाम	आयु	शिक्षा	व्यवसाय

11. क्या आवेदिका बी.पी.एल. में चयनित परिवार से है? हाँ/नहीं
12. यदि हाँ तो बी.पी.एल. कार्ड संख्या
(प्रतिलिपि संलग्न करें)

13. प्रस्तावित वर का विवरण, जिससे आवेदिका विवाह करना चाहती है:-

नाम	पिता का नाम	पूरा पता	आयु	शिक्षा	व्यवसाय

14. प्रस्तावित वर क्या पूर्व में विवाहित रहा है? हाँ/नहीं
15. यदि हाँ, तो पूर्व पत्नी व संतानों का विवरण

नाम	आयु	वर से सम्बन्ध	शिक्षा	व्यवसाय	वर्तमान स्थिति

16. विवाह तिथि (विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें) :.....
17. आवेदन की तिथि :

(हस्ताक्षर आवेदिका)

कार्यालय उपयोग हेतु

(स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र)

प्राप्त सिफारिश के आधार पर श्रीमती..... धर्मपत्नि स्व.
श्री.....निवासी.....
.....का पुर्नविवाह दिनांक.....को श्री.....पुत्र श्री.....
निवासी.....के साथ किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा देय उपहार राशि
रुपये 15000/- स्वीकृत की जाती हैं ।

हस्ताक्षर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मय मोहर

(भुगतान रसीद)

मैंने (श्रीमती)..... श्री.....निवासी.....
.....से पुर्नविवाह पर राज्य सरकार द्वारा देय उपहार राशि रूपये
15000/- का बैकर्स चैक/बैंक ड्रॉप्ट संख्या.....दिनांक.....को प्राप्त
किया ।

हस्ताक्षर आवेदक